प्रारूप 'ग'

भूमि के लिए विकास परमिट के प्रारम्भिक अनुमोदन अथवा अस्वीकृत का प्रारूप

प्रेषक,

नियत प्राधिकारी/नगर मजिस्ट्रेट
विनयमित क्षेत्र, गोण्डा।
जनपद - गोण्डा, उ0प्र0।

सेवा में,

निदेशक,
मेसर्स आर्चा इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेवलपर्स प्रा0लि0
753/ए प्रथम तल, निकट रघुकुल विद्यापीठ
खदराशाह मजार, गोण्डा।

महोदय,

ग्राम राजापुर परगना, तहसील व जनपद गोण्डा के गाटा संख्या 253 249, 248, 250, 251, 252, 236, 261 व 260 एवं ग्राम मथुरा चौबे परगना, तहसील व जनपद गोण्डा के गाटा संख्या 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 व 156 कालोनी/गली - गोण्डा लखनऊ रोड नगर गोण्डा में भूमि के विकास के लिए परमिट प्रदान करने हेतु आपके आवेदन पत्र सख्या 220/23-24 दिनांक 04.10.2023 के सन्दर्भ में मुझे आपको संसूचित करना है कि निम्नलिखित शर्तो के अधीन रहते हुए नियत प्राधिकारी द्वारा प्रारम्भिक अनुमोदन प्रदान किया गया है :-

1. स्थल पर समस्त आन्तरिक विकास कार्य एवं प्लाटिंग स्वीकृत तलपट मानचित्र के अनुरूप किया जायेगा।
2. इस स्वीकृति की अवधि स्वीकृति तिथि से पाँच वर्ष होगी। निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में नियमानुसार नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा।
3. स्थल पर आन्तरिक विकास कार्य प्रारम्भ किये जाने के पूर्व एवं समाप्त होने के बाद नियत प्राधिकारी कार्यालय में लिखित रूप से सूचना देना होगा।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग गोण्डा की अनापत्ति में उल्लिखित शर्तो कस अनुपालन करना होगा।
5. सहयुक्त नियोजक, सम्भागीय नियोजन खण्ड, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उ0प्र0 अवध बिहार व्यावसायिक काम्प्लेक्स (प्रथम तल), रेवले स्टेशन के पीछे, परिक्रमा मार्ग अयोध्या के पत्र दिनांक 14.12.2023 में निहित शर्तो का अनुपालन करना होगा।

Scanned with CamScanner

6. तलपट मानचित्र में प्रदर्शित समस्त पार्को आदि का यथावत् विकास कराना अनिवार्य होगा।
7. इस स्वीकृति से सम्बन्धित को भू-स्वामित्व का हक हासिल नहीं होगा।
8. इस तलपट मानचित्र में कुछ गाटे अनुसूचित जाति के भूमिधरों के है जिससे द्वारा तलपट मानचित्र को विकसित करने का कन्सोसियम के आधार पर स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ दी जाती है कि उक्त भूमिधर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 98 के अन्तर्गत कलेक्टर की अनुमति प्राप्त कर नियमानुसार अपने भूखण्डों का विक्रय, पट्टा आदि किया जायेगा।
9. इस तलपट मानचित्र पर अंकित समस्त भूखण्डों का विक्रय के पश्चात सम्बन्धित क्रेता द्वारा नियमानुसार देय शुल्क अदा कर नक्शा पास कराकर ही निर्माण किया जायेगा। यदि आप द्वारा भी कोई आवासीय/व्यावसायिक निर्माण किया जाता है तो बिना शुल्क देय या नक्शा पास कराये बिना निर्माण न कराया जाय।
10. प्रश्नगत मानचित्रानुसार कोई भवन निर्माण किया जाना प्रस्तावित नहीं है। बल्कि भूमि उपविभाजन किया जाना है। उक्त भूमि उपविभाजन क्षेत्र (Lay Out Plan Area) का आन्तरिक विकास स्वयं आवेदक फर्म द्वारा किया जाना है एवं इस हेतु आवेदक फर्म ने अपने आर्किटेक्ट से आंगणन तैयार कर प्रस्तुत किया है, जिसके अवलोकन से विदित है कि प्रश्नगत तलपट मानचित्र क्षेत्र (Lay Out Plan Area) के आन्तरिक विकास पर कुल 3.96 करोड़ रुपये आवेदक द्वारा व्यय किया जायेगा। इस प्रकार उक्त धनराशि के समतुल्य राशि का प्लाट/भूखण्ड नियत प्राधिकारी के पक्ष में बन्धक करने की सहमति अथवा इतनी ही धनराशि की बैंक गारण्टी आवेदक फर्म से प्राप्त किया जाना है। इस क्रम में आवेदक द्वारा दिनांक 29.12.2023 को रु0 3.96 करोड़ की बैंक गारण्टी 25.12.2025 तक बन्धक है। इस अवधि के भीतर विकास कार्य पूर्ण न हुआ तो बन्धक बैंक गारण्टी की तिथि को बढ़ाना होगा।

अतः आप उक्त से सहमति हो तो क्रमांक 10 पूर्ण कराने के पश्चात आन्तरिक विकास कार्य के समतुल्य राशि के भूखण्डो का बंधक किये जाने की सहमति अथवा इसी धनराशि की बैंक गारण्टी आवेदक फर्म से प्राप्त करने हेतु आदेशित करना चाहें।

24/02/2024

अवर अभियन्ता
विनियमित क्षेत्र
गोण्डा

24-2-2024

नियत प्राधिकारी/नगर मजिस्ट्रेट
विनियमित क्षेत्र
गोण्डा

कार्यालय संसूचना संख्या ...220/23-24...

दिनांक .....

Scanned with CamScanner